वित्त विभाग

(विनियम)

दिनांक 16 अप्रैल, 2010

संख्या 2/3/2008-4 एफ०आर०.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 283 के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पंजाब वित्त नियम, जिल्द I, हरियाणा राज्यार्थ को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् —

1. ये नियम पंजाब वित्त जिल्द I, (हरियाणा संशोधन) नियम 2010, कहे जा सकते हैं।

2. पंजाब वित्त नियम, जिल्द I, में, नियम 8.14-क के बाद, निम्नलिखित नियम जोड़ दिया जायेगा, अर्थात् —

"8.14-ख अनुदान ग्राही संस्थान या संगठन के लेखों को मन्जूरी प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण और/या आन्तरिक लेखा परीक्षा तथा महालेखाकार (लेखा परीक्षा) हरियाणा द्वारा लेखा परीक्षा के लिए जब-जब संस्थान या संगठन से ऐसा करने की अपेक्षा की जाए, खुला रखा जाएगा तथा इस आशय का उपबन्ध सहायता अनुदान मन्जूरीदाता के सभी आदेशों में सदैव सम्मिलित किया जाना चाहिए ।"

अजीत एम० शरण,

वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार

वित्त विभाग ।

FINANCE DEPARTMENT

(REGULATION)

The 16th April, 2010

No. 2/3/2008-4 F R.—In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 283 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Punjab Financial Rules, Volume I, in their application to the State of Haryana, namely :—

1. These rules may be called the Punjab Financial Volumn I, (Haryana amendment) Rules, 2010.

2. In the Punjab Financial Rules, Volume I, after rule 8.14-A, the following rule shall be added, namely :—

"8.14-B The Accounts of a grantee institution or organization shall remain open to inspection and/or internal audit by the Accountant General (Audit) Haryana, whenever the institution or organization is called upon to do so and a provision to this effect should invariably be incorporated in all orders sanctioning grant-in-aid."

AJIT M. SHARAN,

Financial Commissioner and Principal Secretary

to Government Haryana, Finance Department.